न्यायालय:-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्याया. के द्वि०अति. न्यायाधीश,श्रुंखला न्यायालय चंदेरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.) ।। समक्ष – राजेन्द्र सिंह ठाकूर।।

विशेष सत्र प्रकरण कः.-64/2017 संस्थित दिनांक-20.11.2017 रजिस्ट्रेशन नंबर 40 / 2017

म.प्र.राज्य द्वारा, आरक्षी केंद्र चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) <u>अभियोजन</u> ।। विरूद्ध।। राजकुमार उर्फ गोलू पुत्र दयाराम कोली, उम्र-20 वर्ष, निवासी-कुंअरपुर थाना- चंदेरी जिला–अशोकनगर।<u>अभियुक्त</u>

पुलिस थाना चंदेरी जिला-अशोकनगर के अपराध क-528 / 2017 अंतर्गत धारा 457 भादवि, 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में दिनांक 20.11.2017 को प्रस्तूत अभियोग पत्र के आधार पर उदभूत।

अभियुक्त की ओर से

अभियोजन की ओर से :- श्री मुकेश राजपूत अभियोजक।

:- श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता।

-:: आदेश ::-

(आज दिनांक 25.04.2018 को पारित किया गया)

U/S 232 Cr.P.C.

- उक्त अभियुक्त को भादवि की धारा 457 एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध में अभियोजित किया गया है।
- अभियोजन का मामल संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त्री अपनी बुआ रामकुवर बाई व फूफा मांगी लाल के यहा रहती है। दिनांक 02.11.017 को उसके बुआ फूफा व भाई घर पर नहीं थे। रात के साडे सात बजे जब वह खुडिया पर बैल बांधने गई थी। जब वह वापस आ रही थी तब गांव का गोलू कोली खुरिया पर आया और उसे पकड कर खीचता हुआ फूफा के पुराने घर पर ले गया। वहां पर उसके साथ जबरजस्ती बुरा काम किया। वह चिल्लाई तो भूरा व रमेश ढीमर आ गए थे। तब उन्हें सारी घटना बताई फिर बुआ एवं फूफा के

.2. विशेष प्रकरण.क.—64 / 2017

साथ साधन न मिलने के कारण दूसरे दिन रिपोर्ट की गई है। अभियुक्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण आरोपी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 457, 376 भादिव एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री की उम्र के परीक्षण हेतु उसका ओकेफिकेशन टेस्ट कराया गया एवं अभियोक्त्री एवं आरोपी के चिकित्सकीय परीक्षण एवं आरोपी की गिरफ्तारी एवं आवश्यक विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र दिनांक 20.11.17 को पेश किया गया।

- 3. आरोपी पर पद क.—1 के अनुसार आरोप लगाए जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा। आरोपी का बचाब है कि उसे प्रकरण में झूठा फसाया गया है। बचाब में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
- 4. प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को देखते हुए प्रकरण में अंतर्गत धारा 232 दप्रसं. के तहत कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- 01. क्या, आरोपी ने दिनांक 02.11.17 को 19:30 बजे से 19:45 बजे के मध्य किसी समय या उसके लगभग स्थान अभियोक्त्री के फूफा का पुराना घर ग्राम कुंवरपुर पुलिस थाना चंदेरी से 03 कि.मी. पूर्व दिशा में या उसके समीप जिला अशोकनगर म.प्र. के क्षेत्राधिकार में अभियोक्त्री के फूफा के पुराना घर में जो कि मानव निवास अथवा संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में प्रयोग में आता है, में कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के आशय से प्रवेश कर, रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार किया ?
- 02. क्या, उक्त समय स्थान व दिनांक पर आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री जिसकी आयु 18 वर्ष से कम थी, के साथ लैंगिक प्रवेशन हमला कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया ?
- 03. विकल्प में :-

5.

क्या, उक्त समय स्थान व दिनांक को आरोपी ने अप्राप्तवय अभियोक्त्री की इच्छा के विरूद्ध और उसकी सहमति के बिना, उसके साथ लैंगिक संभोग कर बलात्संग किया ?

विचारणीय प्रश्न क-1,2 व 3 की विवेचना एवं निष्कर्ष:-

- उक्त विचारणीय बिंदु एक दूसरे से संबंधित होने के कारण साक्ष्य पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
 - घटना के संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री अ.सा–1.

.3. विशेष प्रकरण.क.—64 / 2017

रामकुअर बाई अ.सा—2, के.एन. त्रिपाठी अ.सा—3, मांगी लाल अ.सा—4, रामनिवास उर्फ भूरा अ.सा—5, रमेश अ.सा—6 एवं एल.आर.पैकरा अ.सा—7 के कथन कराए गए है। अभियोक्त्री अ.सा—1, रामकुअर बाई अ.सा—2, मांगी लाल अ.सा—4, रामनिवास उर्फ भूरा अ.सा—5, रमेश अ.सा—6 ने अभियोजन कहानी से विचलित होते हुए अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है बल्कि अभियोक्त्री अ.सा—1 ने कथन किया है कि वह आरोपी राजकुमार उर्फ गोलू को नहीं जानती। उसके साथ कोई घटना कारित नहीं हुई। प्रतिपरीक्षण में अभियोक्त्री ने कथन किया है कि प्र.पी—1 की रिपोर्ट उसकी बुआ और फूफा जी ने बोलकर लिखाई थी, उसके द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले पुलिस ने उसे पढ़कर नहीं सुनाई थी कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। उसने बुआ व फूफा के कहने पर रिपोर्ट प्र.पी—1 पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री के मानव निवास में प्रवेश कर रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार किए जाने और अभियोक्त्री के साथ बलात्कार के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, क्योंकि इस संबंध में घटना की एकमात्र साक्षी अभियोजन कहानी अनुसार केवल अभियोक्त्री ही है।

- 6. अभियोक्त्री की आयु घटना के समय 18 वर्ष से कम होने के संबंध में अभियोजन द्वारा अभियोक्त्री के स्कूल के स्कूल अथवा जन्म के संबंध में कोई प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए है। अभियोजन की ओर से आशिफिकेशन टेस्ट के एक्स—रे प्रस्तुत किए गए है। परंतु कोई साक्ष्य उक्त दस्तावेज को प्रमाणित किए जाने हेतु अभियोजन द्वारा परिक्षित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन को प्रस्तुत दस्तावेजों का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वैसे भी अभियोक्त्री ने रिपोर्ट किए जाने एवं उसके साथ घटना कारित किए जाने के तथ्य से इंकार करते हुए घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोक्त्री की बुआ रामकुअर बाई अ.सा—2, मांगी लाल अ.सा—4 ने भी घटना का कोई समर्थन न करते हुए पुलिस को प्र.पी—5 व 6 का कथन दिए जाने के तथ्य से इंकार किया है। के.एन.त्रिपाठी अ.सा—3, एल.आर.पैकरा अ.सा—7 ने विवेचना के दौरान की गई कार्यवाही एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्शित किया है। परंतु स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थन न किए जाने से अभिलेख पर उपरोक्त आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है।
- 7. उक्त परिस्थितियों में धारा 232 दप्रसं. के प्रावधानों के अंतर्गत साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त राजकुमार उर्फ गोलू पुत्र दयाराम कोली को धारा 457 भादसं. एवं धारा 3 सहपठित धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विकल्प में धारा 376 भादसं. के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।
- 8. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् या अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेशाधीन नष्ट की जावे।
- 9. अभियुक्त न्यायिक निरोध में है। अतः जेल वारंट में नोट लगाया जाएय

.**4.** <u>विशेष प्रकरण.क.—64 / 2017</u>

कि आरोपी को दोषमुक्त किया गया है। अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे मुक्त किया जाए।

आदेश आज दिनांक को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

।। राजेन्द्र सिंह ठाकुर।। प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के द्वि.अति. न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय चंदेरी, जिला—अशोकनगर ।। राजेन्द्र सिंह ठाकुर।। प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के द्वि. अति.न्यायाधीश,श्रृंखला न्यायालय चंदेरी, जिला—अशोकनगर